संख्याः 593/36/88 एक(2)/2005

प्रेषक,

एस. के. दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त जिला न्यायाधीश,
उत्तराखण्ड।

2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2007.

विषयः- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से विवाद निपटाये जाने पर न्यायालय में लम्बित वाद की कोर्ट फीस वापस किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5/1908) की धारा 89 में न्यायालय में लम्बित किसी मामले में न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से मामले में न्याय निर्णय के अतिरिक्त इस उपबन्ध की व्यवस्था के अनुसार न्यायालय से बाहर वैकल्पिक रूप से वाद निपटाये जाने (Alternative Dispute Resolution) हेतु चार प्रकार के माध्यमों का उल्लेख है :-

(1) माध्यस्थम (Arbitration),
(2) सुलह (Conciliation),
(3) लोक अदालत, एवं
(4) मध्यस्थता (Mediation),

2. न्यायालयों में लम्बित मामलों की भारी संख्या के दृष्टिगत न्यायालय के बाहर मामलों के निपटाये जाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वादकारियों को राहत दिये जाने हेतु कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में केन्द्रीय सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 46/1999 द्वारा धारा 16 अंतःस्थापित की गई है जो इस प्रकार है :-

> **"Section 16- Refund of fee-** Where the court refers the parties to the suit to anyone of the mode of settlement of dispute referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the plantiff shall be entitled to a certificate from the court authorising him to receive back from the collector, the full amount of the fee paid in respect of such plaint."

3. कोर्ट फीस अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की भाँति राज्य की ओर से भी व्यवस्था करने हेतु सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु प्रति भारत संघ व अन्य (2005) 6 एस.सी.सी. 344 में दिनांक 02–8–2005 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये हैं।

4. कोर्ट फीस अधिनियम, 1870, जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, उत्तराखण्ड राज्य पर भी लागू है। इस अधिनियम में केन्द्र सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 46/1999 द्वारा धारा 16 को जोडा गया है जो उत्तराखण्ड राज्य पर भी पूर्णतः लागू है।

5. अतः न्यायालय में लम्बित किसी मामले के सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में उल्लिखित वैकल्पिक रूप से निपटाये जाने (Alternative Dispute Resolution) के उपरोक्त चार माध्यमों में से किसी एक माध्यम से निस्तारण पर वादी को कोर्ट फीस वापस करने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6. उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–888/xxvii(5)/07 दिनांक 11 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( एस. के. दास )
मुख्यसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 593/36/88–एक(2)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
3– सदस्य–सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–5, देहरादून।
8– एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )
अपर सचिव।

13/07/2012. 8:20